





## झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विमाग, झारखण्ड, नामकुम, रौँची फोन नंo- 2261000, 2261858-2261002 मेल आईण्डी०- nhmjharkhand2018@gmail.com

पत्रांकः IDSP/156/2020 - 12 8 (HSN)

दिनांक : 23) 04 | 2020

## कार्यालय आदेश

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, Directorate General of Health Services (EMR Division) के दिनांक—9 अप्रैल, 2020 द्वारा COVID-19 के Suspect/ Confirmed cases के Appropriate Management हेतु प्रेषित दिशानिर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों द्वारा नामित Facilities को निम्नानुसार Dedicated COVID Hospital (DCH) के रूप में अधिसूचित किया जाता है:—

## **Dedicated COVID Hospital (DCH):**

SI. No.	Name of District	Name of DCH Treatment Facility	No. of Non ICU beds	No. of ICU beds	No. of ventilators
1	State Dedicated Covid 19 Hospital	Integrated COVID Centre, Trauma Center, RIMS, Ranchi	100	25	25
2	Bokaro	Bokaro General Hospital	50	20	23
3	Deoghar	Maa Lalita Hospital, Bawan Bigha, Deoghar	100	20	7
4	Dhanbad & Jamtara	BCCL Central Hospital, Dhanbad	10	100	3
5	Dumka	Dumka Medical College, Hospital Dumka	30	15	2
	East Singhbhum	Tata Main Hospital Jamshedpur	600	73	73
6	& Saraikela Kharsawan	Tata Motors (PKS)	20	3	3
7	Garhwa	Jyoti Hospital and Reserch Centre, Meral, Garhwa	44	6	4
8	Giridih	ANMT Baddiha, Giridih	40	0	0
		Mina General Hospital	50	4	2
9	Godda	DCH 100 Beded Hospital, Hansdiha	100	5	1
10	Hazaribagh & Chatra	Arogyam Multi Speciality Hospital hazaribagh	35	25	2
11	Khunti	Sadar Hospital, Khunti (DHC)	10	9	9
12	Koderma	J P Hospital	30	10	1
13	PAKUR	TRIBAL WELFARE RURAL HOSPITAL, PAKUR (RINCHI Trust Hospital)	50	4	4
14	Palamu	Navjiwan Hospital, Tumbagada	28	10	6
15	Ramgarh	CCL Hospital	20	4	2
16	Ranchi, Lathar, Lohardaga & Gumla	Paras HEC Hospital, Sector-3, Dhurwa, Ranchi.	10	12	12
17	Sahibganj	SDH,Rajmahal	100	6	2
18	Simdega	Shanti Bawan Medical Centre, Biru, Simdega (3rd Floor)	30	6	6
19	West Singhbhum	SE Railway Hopital, Chakradharpur	64	6	2
	-		1521	363	189



उपरोक्त प्रत्येक COVID Care Centre के लिए एक Medical Officer को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए उसकी सूचना (नाम एवं मोबाईल नं0 सहित) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिसूचित Dedicated COVID Hospital (DCH) में COVID-19 Cases के Appropriate Management में निम्न बातों का ध्यान रखा जाए :—

i) The Dedicated COVID Hospitals are hospitals that shall offer comprehensive care primarily for those who have been clinically assigned as severe.

ii) These hospitals would have fully equipped ICUs. Ventilators and beds with assured Oxygen support.

- iii) The hospitals will have separate areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases should not be allowed to mix under any circumstances.
- iv) The Dedicated COVID Hospitals would also be referral centers for the Dedicated COVID Health Centers and the COVID Care Centers.

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 211(HS) दिनांक 09.04.2020 के द्वारा Ministry of Health & Family Welfare के द्वारा दिए गए Guideline को संलग्न करते हुए पूर्व में प्रेषित किया गया है, जिसमें Management of COVID-19 Cases के सन्दर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये हैं। कृपया उक्त Guidelines में प्रावधानित अन्य निर्देशों का भी अनुपालन उक्त अधिसूचित क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचित सूची में कुछ जिलों के द्वारा CCC एवं DCHC के लिए PHC एवं CHC का भी चयन किया गया है। इस परिस्थिति में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाय कि Non-COVID medical services एवं Critically ill patient के treatment की वैकल्पिक सेवा सुनिश्चित हो।

अतः निदेशित है कि उपरोक्त नामित संस्थानों का भारत सरकार के पत्रांक सं0 H45013/4/2020 HPE, दिनांक—18.04.2020 द्वारा प्राप्त चेकलिस्ट Equipment list & requirement (संलग्न) के अनुसार आकलन करते हुए कोरोना मरीजों के Appropriate Management एवं उपचार हेतु यथाशीघ्र आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे।

( डॉ० नितीन कुलंकणी ) सरकार के प्रधान सचिव। (

(

- ( - ( - (

ज्ञापांकः IDSP/156/2020 - | 28 (HSN)

राँची, दिनांक:- 23 | 04 | 2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं नामकुम, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

5. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, जिला स्वास्थ्य समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव